राष्ट्रीय बचत विभाग के कार्यक्रम

देश के सर्वांगीण विकास में राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत जमा धनराशि का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार द्वारा विकास पर किए जाने वाले खर्च में 31% योगदान इन योजनाओं में जमा धनराशि का होता है। जिले में जिला बचत कार्यालय इन योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायी विभाग है। इस कार्यालय द्वारा बेरोजगार युवकों/युवतियों को अभिकर्ता/अभिकर्त्री के रूप में नियुक्त किया जाता है जो समूचे जनपद में न केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हैं, अपितु निवेशकों को समुचित सुविधाएँ भी उपलब्ध कराते हैं। जिला बचत कार्यालय द्वारा दो प्रकार की एजेन्सी दी जाती है -

(1) अधिकृत अभिकर्ता प्रणाली : कोई भी कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण 21 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति एजेन्सी पाने का पात्र होगा जो डाकघर की आवर्ती जमा योजना को छोड़कर अन्य समस्त योजनाओं के अन्तर्गत निवेशकर्ताओं की धनराशि जमा करने हेतु अधिकृत है तथा उसे जमाधनराशि पर डाकघर से 1% की दर से कमीशन प्राप्त होता है।

(2) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना : डाकघर की आवर्ती जमा योजना हेतु केवल ऐसी महिलाओं को जो कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण हों तथा 21 वर्ष से अधिक उम्र की हों, एजेन्सी दी जाती है। इन अभिकर्त्रियों को योजनान्तर्गत जमा धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से कमीशन देय होता है।

राष्ट्रीय बचत योजनाएं : एक दृष्टि में :

आज की बचत **कल की सुरक्षा**

योजना	ब्याज देय दर अवधि इत्यादि	निवेश और मूल्य वर्ग की सीमा	आयकर सुविधा सहित प्रमुख विशेषताएं
किसान विकास पत्र	7 वर्ष 3 माह में धन दुगुना। निम्नलिखित सारणी के अनुसार समय पूर्व भुनाने की सुविधा उपलब्ध है, रु० 1000 के— ढाई साल बाद रुपये-1209 तीन साल बाद रुपये-1274 साढ़े तीन साल बाद रुपये-1327 चार साल बाद रुपये-1409	रुपये 100.00 रुपये 500.00 रुपये 1000.00 रुपये 5000.00 रुपये 10000.00 अंकित मूल्य वर्ग में सभी डाकघरों में मिलते हैं।	एकल धारक पत्र कोई भी वयस्क स्वयं के लिए या कोई भी अवयस्क की ओर से दो वयस्क व्यक्ति संयुक्त रूप से ले सकते हैं। बंधक के रूप में स्वीकार्य।
छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम)	रूपये 1000.00 के रूपये 1745.209 होते हैं रूपये 100.00 जमा राशि पर वार्षिक ब्याज अन्य मूल्य वर्गों के अनुपात में निम्न प्रकार से हैं पहला वर्ष-रु० 9.72 दूसरा वर्ष-रु० 10.67 तीसरा वर्ष-रु० 11.71 चौथा वर्ष-रु० 12.85 पांचवां वर्ष-रु० 14.10 छठवां वर्ष रु० 15.47	न्यूनतम रु० 100.00 अधिकतम सीमा नहीं रूपये 100.00 रुपये 500.00 रुपये 5000.00 रुपये 10000.00 के मूल्य वर्ग में उपलब्ध	एकल धारक पत्र निम्नलिखित द्वारा खरीदे जा सकते हैं-वयस्क स्वयं के लिये या किसी अवयस्क की ओर से किसी अवयस्क के लिये दो वयस्क व्यक्ति संयुक्त रूप से जमा राशि आयकर की धारा 88 के अन्तर्गत छूट के योग्य है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अनुसार वार्षिक अर्जित ब्याज को पुनर्निवेशित समझा जाता है, और वह आयकर में छूट के योग्य है। आयकर अधिनियम की धारा 88 एल के अन्तर्गत उक्त ब्याज पर आयकर में छूट होगी।
डाकघर बचत खाता	व्यक्तिगत, संयुक्त या सामूहिक खातों पर 3.5% वार्षिक ब्याज देय। संस्थागत खातों और मोटर गाड़ी ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए जमानत पर 3% और अन्य जमा खातों पर 2% जमा ब्याज	न्यूनतम 20/- व्यक्तिगत खाते में अधिकतम 50000 और संयुक्त खातों में रु० 1 लाख। सामूहिक या	चैक की सुविधा मिलती है। ब्याज आयकर से पूर्णत: मुक्त है।